राजस्व अपील 157/2026 कादर खां बनाम उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा

निर्णय दिनांक 18.03.2026

1. अपीलान्ट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 106/2022 अनवान बरकतखॉ वगैराह बनाम मुसे खॉ वगैराह में पारित आदेश दिनांक 16.01.2026 के विरूद्ध यह प्रथम अपील दिनांक 27.02.2026 को प्रस्तुत की गई।

2. अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अभिभाषक ने यह कथन किया कि अपीलान्ट एवं अन्य सहखातेदारों के द्वारा अंतर्गत धारा 111, 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि ग्राम खनौडा तहसील पाटोदी के ख0सं0 394/8 रकबा 36.11 बीघा व ख0सं0 392/8 रकबा 53.01 बीघा भूमि संयुक्त खातेदारी में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसकी नेखमबन्दी किये जाने के आदेश प्रदान करावें। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण दर्ज किया जाकर बाद सुनवाई दिनांक 31.05.2022 को तहसीलदार, पचपदरा को उपरोक्त खसरान भूमि की पक्की नेखमबन्दी किये जाने का आदेश दिया गया। उक्त नेखमबन्दी आदेश की पालना में दिनांक 15.11.25 को राजस्व कार्मिकों के द्वारा केवल मात्र खानापूर्ति कर मौका फर्द तैयार कर दी गई, जिसमें मात्र दो चार खातेदारान को मौके पर बुलाया गया। उक्त कार्यवाही भी अपीलान्ट के द्वारा माननीय राज0 उच्च न्यायालय में एसबी सिविल रिट संख्या 24068/2025 अनवान कादर खॉ बनाम राज्य सरकार पेश की गई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 11.11.2025 में याचिकाकर्ता को 07 दिन की अवधि के भीतर अभ्यावदेन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये जिस पर अपीलान्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.12.25 को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर दिया। उक्त अभ्यावेदन पर तहसीलदार पाटोदी से जॉच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार पाटोदी की रिपोर्ट के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा याचिका संख्या 17680/2025 अनवान कादर बनाम सरकार वगैराह में पारित आदेश दिनांक 29.10.25 की अनुपालना में उक्त ख0सं0 394/8, 392/8 में नेखमबन्दी आदेश दिनांक 31.5.22 की पालना करवाने हेतु दिनांक 15.11.25 को राजस्व कार्मिकों तथा थानाधिकारी पचपदरा द्वारा आनन–फानन में कार्यवाही रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा को पेश कर दी गई। तत्पश्चात उक्त कार्यवाही से व्यथित होकर अपीलान्ट कादरखॉ के द्वारा पुनः दुबारा सही व कानूनी तौर पर समस्त पक्षकारान की मौके पर उपस्थिति करवाई जाकर दुबारा पैमाइश

करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन किया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा मात्र इतना कहते हुए प्रार्थना पत्र को तर्कहीन बताकर अस्वीकार कर खारिज कर दिया जो कानूनी तौर से गलत है व न्यायोचित नहीं है। अतः अपीलान्ट की यह अपील स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.1.2026 को निरस्त किया जावे तथा ग्राम खनैडा बालोतरा, तहसील पाटोदी के ख0सं0 394/8, 392/8 की पुनः पैमाइश किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

3. हमने अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अपील में दर्शाये गये तथ्यों का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने अपनी अपील में अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध प्रमुखतः यह आपत्ति की है कि उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.05.2022 जिसमें "ख0सं0 394/8 रकबा 36.11 बीघा एवं 392/8 रकबा 53.01 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को निर्देश दिये गये है" की पालना में तहसीलदार, भू0अ0 निरीक्षक एवं पटवारी हल्का के द्वारा विधि के अनुसार नहीं की गई और नेखमबन्दी कार्यवाही के समय मात्र खानापूर्ति की गई तथा प्रकरण में संस्थित सभी प्रार्थीगण/खातेदारान को मौके पर उपस्थित नहीं रखा। इसके अतिरिक्त माननीय राज0 उच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना भी पूर्ण नहीं की गई और दिनांक 15.11.2025 को टीम के द्वारा आनन–फानन में कार्यवाही कर रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित कर दी गई है। अतः उपरोक्त खसरों की पुनः पैमाइश करवाई जावें।

4. प्रकरण का अवलोकन किया गया। धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण का निस्तारण किये जाने में सभी प्रभावित पक्षकारान की उपस्थिति, राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शे के अनुरूप एवं की जाने वाली कार्यवाही में पारदर्शिता होनी आवश्यक है। अपीलान्टस के द्वारा नेखमबन्दी अपीलाधीन कार्यवाही से असंतुष्ट होकर माननीय उच्च न्यायालय की ओर रूख किया है। उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के द्वारा अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन के सम्बन्ध में मात्र सारवान तथ्य निहित नहीं है तथा दुबारा पैमाइश की मांग को उचित नहीं बताया है जिससे राजस्व न्यायालय की मंशा प्रकरण का मा

निस्तारण करने की प्रतीत होती है न कि न्यायिक दृष्टि से विधि के अनुरूप न्याय कर निर्णय किये जाने की। ऐसे में उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विश्लेषण करने के उपरान्त हमारी विनम्र राय में अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.01.2026 एवं पूर्व निर्णय दिनांक 31.5.2022 को निरस्त करते हुए वादग्रस्त खसरान भूमि के सभी खातेदारान/पक्षकारान को अपना पक्ष रखने का समुचित एवं पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से यथोचित आदेश पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

5. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.5.2022 एवं 16.01.2026 को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षकारान को अपना पक्ष रखे जाने तथा सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः यथोचित आदेश पारित करे। निर्णय आज दिनांक 18/3/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

18/3/26.

(सुनिता चौधरी)
अति0 सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर